न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 40/20 वर्ष 2020

GCMS No- 2020/00157

बउनवानीः–1 शेर सिंह पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी मुई ,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए–45–46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना अन्तर्गत धारा 64 राईट टू फेयर कम्पेशेषन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एक्ज्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड डी सेटलमेंट एक्ट,2013 विरूद्व नोटिस कमांक पीए/भू0अवा0/संरचना/2020/385 दिनांक 27.8.2020 ख0न0 2178 रकबा 2.7400 वाके ग्राम मुई (अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर) भूमि अवाप्ति अधिकारी जिला सवाईमाधोपुर),

उपस्थितः–1. श्री उमाशंकर शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री अभिनव जैन वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांकः– 14.07.2021**

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 राईट टू फेयर कम्पेशेषन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एक्ज्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड डी सेटलमेंट एक्ट,2013 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त किये जाने बाबत जारी नोटिस कमांक एनएच.148एन 2019/181 दिनांक 2.8.2019 विधि विरूद्व व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण उक्त नोटिस को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम मुई के ख0न0 2178 रकबा 2.74 है0 जिसमे उमरूदो के लगभग 1200 पौधे लगे हुए है जिनको लगाये 4 वर्ष हो चुके है जिसमे से लगभग 420 पौधे नेशनल हाईवे 148 के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि मे चले गये है। जिनका सर्वे पूर्व में उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया था तथा नोटिस प्रार्थी को दिया गया था जिसमे भी उक्त पौधे 4 वर्ष का माना गया था तथा सम्पूर्ण सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा टाईपिस्ट या प्रिन्ट की गलती से उक्त भूमि के पौधे 9 वर्ष का दिखाकर मुआवजे की राशि कम आंकी गयी है। उक्त मुआवजा बाबत आपत्ति पूर्व में प्रार्थी द्वारा दर्ज कराई जा चुकी है। प्रार्थी को ही अपने पास के खेत मे लगें इन्ही पौधे के साथ के पौधे का मुआवजा 4 वर्ष के हिसाब से दिया गया है जिनका सर्वे उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया है जिसमे मुआवजे की राशि 14241/–रू प्रति पौधे के हिसाब से तय की जाकर किसान को दी गयी है। परन्तु प्रार्थी के पौ की उम्र 9 वर्ष बताकर मात्र 10940/–रू प्रति पौधे के हिसाब से राशि का मुआवजा बाबत नोटिस जारी किया गया। जबकि प्रार्थी 14241/–रू के हिसाब से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी को 420 अमरूद के पौधो का मुआवजा 4 वर्ष की आयु के हिसाब से दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

64.
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति हेतु अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाले भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की ***किस्म चाही–3*** दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गयी भूमि पर स्थित भवन, वृक्षो व फसल आदि की धनराशि (Section 29 RFCTLARR act-2013) भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धरा–30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियो के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र मे किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र संख्या भाराराप्रा /पकाई/सवाईमाधोपुर/83 दिनांक 30.1.2019 के क्रम में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता सा0नि0वि0 सवाईमाधोपुर के पत्रांक 584 दिनांक 29.5.2019 द्वारा तथा अर्जित भूमि पर स्थित निजी वृक्षो का मूल्यांकन वन विभाग से करवाकर रिपोर्ट सहायक निदेशक उद्यान सवाईमाधोपुर के पत्र संख्या एडीएच/एसडब्ल्यू/2019/323 दिनांक 22.5.2019 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध करवायी जाने पर मुआवजा हेतु अवार्ड निधारण किया जाता है।

यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 2178 रकबा 1.189 है0 किस्म बारानी शेर सिंह पुत्र जगदीश हि.1/2 गीता बेवा जगदीश, लाडबाई बेवा हनुमान हि. 1/2 रहिन बडोदा राज.ग्रामीण बैंक शाखा कुस्तला रा.रा.मार्ग संख्या 148 एन दिल्ली–बडोदरा एक्स.वे के लिए अधिग्रहित की गयी है। अवाप्त की गयी भूमि के मुआवजा की गणना उप पंजीयक सवाईमाधोपुर से प्राप्त निर्धारित डी.एल.सी के आधार पर की गयी है। उक्त भूमि पर लगे हुए अमरूद के पौधे की अवाप्ति दिनांक 25.7.2019 (सावन 2076) को ... मुआवजा प्रार्थी के हक मे निर्धारित किया गया था तथा अवाप्ति के समय उनकी आयु 4 वर्ष थी। क्योकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072 के अनुसार उक्त भूमि पर अमरूद के छोटे पौधे थे अर्थात सम्वत् 2072 मे ही उक्त अमरूद का बगीचा लगाया गया है। यह भी तर्क दिया अप्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी उसमे अवाप्त की गयी आराजी के हितबद्व खातेदारों के नाम का उल्लेख किया जाता है। तथा स्वामित्व का निर्धारण किये जाने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मध्यस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है। उक्त भूमि पर अमरूद के 420 वृक्ष 9 वर्ष पुराने हेतु बाबत किये गये कथन के समर्थन मे वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत भी प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर उसके कथन की पुष्टि हो सके। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम मुई की ख0न0 2178 रकबा 2.74 है0 अवाप्त भूमि पर लगे हुए 420 अमरूद के वृक्षो का मुआवजा 4 वर्ष आयु के स्थान पर 9 वर्ष आयु के हिसाब से दिलवाने बाबत अनुतोष चाहते हुऐ अपने कथन के समर्थन मे ख0न0 2178 वाके ग्राम मुई की खसरा गिरदावरी सम्वत्, 2072 से 2076 प्रस्तुत की गयी है। मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072 के अनुसार उक्त भूमि पर छोटे अमरूद के पौधे अंकित है जिससे यह सिद्व होता है कि उक्त भूमि पर सम्वत्2072 मे अमरूद के पौधे लगाये गये थे तथा उक्त भूमि वर्ष 2019 (सम्वत,2076) मे रा.रा.मार्ग संख्या 148 एन दिल्ली–बडोदरा एक्स.वे हेतु अवाप्त की गयी है तथा अवाप्ति के समय उक्त भूमि पर अवाप्त किये गये पौधो की आयु 4 वर्ष मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072 के होती है। अर्थात वकील प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर लगे हुए पौधे की आयु 9 वर्ष होने बाबत किये गये कथन की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड (यथा खसरा गिरदावरी, सम्वत् 2072–74) के आधार पर नही होती है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वकील प्रार्थी के कथन से न्यायालय सहमत नही है परन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन से न्यायालय पूर्णतया सहमत है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र साक्ष्य दस्तावेजात के अभाव में निराधार प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested